



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032025-262095
CG-DL-E-29032025-262095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947

No. 1498]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

सं. 18/2025 - सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1516(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को डाक आयात विनियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. क्रियान्वयन- (1) ये विनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ड) के तहत अधिसूचित विदेशी डाक घरों के माध्यम से आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन और निकासी पर लागू होंगे।

(2) ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-

(क) निम्नलिखित आयातित माल उनकी निकासी से पहले जिनके नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता होती है, अर्थात्: -

- (i) पशु और उनके अंग, पौधे और उनके भाग;
- (ii) खराब होने वाली वस्तुएं;
- (iii) भारत की गलत सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों वाले प्रकाशन;
- (iv) किसी भी रूप में कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, सोना या चांदी;

(ख) विदेश व्यापार नीति 2009-14 या 2015-20 या 2023 में निर्दिष्ट किसी भी निर्यात संवर्धन योजना के तहत माल का आयात, जैसा भी मामला हो।

3. परिभाषाएं:-

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) “अधिनियम” का तात्पर्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;
- (ख) “अधिकृत एजेंट” का तात्पर्य आयातक द्वारा अधिकृत व्यक्ति से है, जिसके पास सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के अंतर्गत वैध लाइसेंस है और इसमें सीमा शुल्क दलाल का कोई कर्मचारी शामिल है, जिसे उक्त विनियमों के प्रपत्र जी में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है;
- (ग) “इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा” का तात्पर्य डाक वस्तुओं से संबंधित सार्वभौमिक डाक कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट आगमन-पूर्व इलेक्ट्रॉनिक सूचना से है, जिसे डाक प्राधिकरण द्वारा सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली को उपलब्ध कराया जाता है;
- (घ) “विदेशी डाकघर” का तात्पर्य आयातित वस्तुओं की निकासी के लिए अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अंतर्गत अधिसूचित विदेशी डाकघर से है;
- (ङ) “डाक प्राधिकरण” का तात्पर्य डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत डाक सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संबंधित प्राधिकारियों से है;
- (च) “प्रपत्र सीएन 22”, “प्रपत्र सीएन 23” और “प्रपत्र सीपी 72” का अर्थ है कन्वेंशन मैनुअल में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा निर्दिष्ट सीमा शुल्क घोषणाओं के प्रपत्र;
- (छ) “गैर-व्यक्तिगत आयातित सामान” का अर्थ है व्यक्तिगत आयातित सामान के अलावा विदेशी डाकघर के माध्यम से आयातित सामान;
- (ज) “व्यक्तिगत आयातित सामान” का अर्थ है विदेशी डाकघर के माध्यम से आयातित सामान जो व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए हैं, व्यापार, विनिर्माण या कृषि से जुड़े नहीं हैं और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं;
- (झ) “प्रपत्र” का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र;
- (ञ) इन विनियमों में सीमा शुल्क आयुक्त के किसी भी संदर्भ में इन विनियमों के प्रयोजन के लिए प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त का संदर्भ शामिल होगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट किए गए हैं।

4. की जाने वाली प्रविष्टि, प्रस्तुत किए जाने वाले माल की सूची तथा दाखिल किया जाने वाला आयात का डाक बिल-

1) प्रपत्र सीएन 22, प्रपत्र सीएन 23 या प्रपत्र सीपी 72, जैसा भी मामला हो, पार्सल पर चिपका दिया जाएगा तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ माल का विवरण, उसकी मात्रा तथा मूल्य होगा, उसे उस विदेशी डाकघर में आयात के लिए प्रविष्टि माना जाएगा, जहां से माल की निकासी की जानी है।

(2) डाक प्राधिकारी, विदेशी डाकघर में पहुंचे आयातित माल वाले पार्सल की सूची, उन पार्सल के साथ, जिन पर प्रपत्र सीएन 22, प्रपत्र सीएन 23 या प्रपत्र सीपी 72, जैसा भी मामला हो, चिपका दिया गया है, को उक्त पार्सल के आगमन के दिन, इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-I में सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

(3) इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-II में आयात का डाक बिल आयातक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा, गैर-व्यक्तिगत आयातित माल के लिए, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया जाएगा।

5. माल का निरीक्षण, मूल्यांकन, जांच और निकासी-

(1) सीमा शुल्क का उचित अधिकारी माल को स्कैनिंग और निरीक्षण के अधीन करेगा जब ऐसा माल विनियमन 4 के उप-विनियम (2) में संदर्भित माल की सूची के साथ डाक प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है।

(2) उचित अधिकारी स्कैनिंग, निरीक्षण के परिणामों और प्रपत्र सीएन 22, प्रपत्र सीएन 23, प्रपत्र सीपी 72 या आयात के डाक बिल में मौजूद जानकारी के आधार पर जांच के लिए माल का चयन कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि ऐसा चयन उपयुक्त चयन मानदंडों के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन पर भी आधारित हो।

(3) सीमा शुल्क का उपयुक्त अधिकारी उन वस्तुओं का जोखिम-आधारित मूल्यांकन कर सकता है, जिनके संबंध में डाक प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली को विदेशी डाकघर में माल के पहुंचने से पहले उपलब्ध करा दिया गया है।

बशर्ते कि जिन वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके संबंध में जोखिम-आधारित मूल्यांकन विनियम 4 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं की सूची के साथ डाक प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं को प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जा सकता है।

(4) सत्यापन के उद्देश्य से, उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी आयातक या उसके अधिकृत एजेंट से कोई भी दस्तावेज या जानकारी, जो आवश्यक हो, प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

(5) जहां उपयुक्त अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि माल निषिद्ध नहीं है, वह सीमा शुल्क प्रक्रिया पूरी होने के बाद निकासी की अनुमति देने का आदेश दे सकता है और इस तरह के आदेश को डाक प्राधिकारी, आयातक या उसके अधिकृत एजेंट, जैसी भी स्थिति हो, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा।

(6) डाक प्राधिकारी द्वारा कोई भी पार्सल लागू शुल्क के भुगतान के अलावा डिलिवर नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां आयात का डाक बिल भी भरा गया है, शुल्क का भुगतान आयातक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर किया जाएगा।

6. माल का निपटान और पुनः निर्यात- (1) डाक प्राधिकारी डिलिवर न किए गए पार्सलों के मामले में प्रेषक को आयातित माल को पुनः निर्यात करने या वापस करने के लिए सीमा शुल्क विभाग से अनुरोध कर सकता है, बशर्ते कि माल पर प्रतिबंध न हो।

(2) कोई भी आयातित माल, जिसकी आगमन के तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी निकासी नहीं हुई है या जो डिलीवर नहीं हुआ है, उसे डाक प्राधिकारी द्वारा, घोषित आयातक को नोटिस जारी करने के बाद, उपयुक्त अधिकारी की अनुमति से बेचा या निपटाया जाएगा। ऐसे माल के भंडारण और धारण के लिए देय कोई भी शुल्क डाक प्राधिकारी द्वारा देय होगा।

7. गैर-व्यक्तिगत आयातित माल के मामले में अभिलेखों का प्रतिधारण-

गैर-व्यक्तिगत आयातित माल के मामले में, आयातक या उसका अधिकृत एजेंट विनियम 4 में निर्दिष्ट फॉर्म-II में आयात के डाक बिल को दाखिल करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए बनाए रखेगा:

- (i) आयात के उक्त डाक बिल की एक प्रति:
- (ii) सभी दस्तावेज जो आयात के उक्त डाक बिल को भरते समय उपयोग किए गए थे या जिन पर विश्वास किया गया था और जहां आवश्यक हो, उन्हें अधिनियम के अंतर्गत या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही के संबंध में उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में, जहां कार्यवाही चल रही हो, आयातक ऐसे दस्तावेजों को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि ऐसी कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती।

8. प्राधिकृत एजेंट के कार्य और उत्तरदायित्व- (1) आयातक द्वारा पूरा किया जाने वाला कोई भी दायित्व उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा भी पूरा किया जा सकता है।

- (2) ऐसे एजेंट को प्राधिकृत करने वाला आयातक ऐसे एजेंट द्वारा उसकी ओर से किए गए सभी कार्यों और लेन-देन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा और सरकार को देय किसी भी बकाया राशि के भुगतान के लिए इन विनियमों या अधिनियम या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत लागू दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होगा।
- (3) उप-विनियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्राधिकृत एजेंट अधिनियम की धाराओं 146 और 147 के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होगा।

9. डाक प्राधिकारी का दायित्व- (1) विदेशी डाकघर में पहुंचने पर, जहां से माल की निकासी की जानी है, माल को किसी भी तरीके से नहीं निपटाया जाएगा, सिवाय इसके कि जैसा सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया हो

- (2) कोई भी व्यक्ति, उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी की अनुमति के बिना, उस विदेशी डाकघर से निकासी के लिए रखे गए माल से भरे किसी भी पात्र या बैग या पैकेज को नहीं खोलेगा।
- (3) डाक प्राधिकारी, सभी आयातित डाक पार्सलों को, ऐसे पार्सलों की सूची के साथ, विदेशी डाक घर में उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी को स्क्रीनिंग, निरीक्षण, जांच और मूल्यांकन के लिए इस तरह से प्रस्तुत करेगा, जैसा कि उक्त उचित अधिकारी के अनुरूप हो।
- (4) डाक प्राधिकारी प्राप्तकर्ता को कोई माल डिलीवर नहीं करेगा जब तक कि विनियम 5 के तहत उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा माल की निकासी की अनुमति देने संबंधी आदेश नहीं दिया जाता है।
- (5) उन वस्तुओं के संबंध में जिनके लिए विनियम 5 के अंतर्गत उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा माल की निकासी की अनुमति देने संबंधी आदेश दिया गया है, डाक प्राधिकारी उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी को माल की डिलीवरी, प्राप्तकर्ताओं से उस पर निर्धारित सीमा शुल्क के संग्रह और इस प्रकार एकत्र किए गए सीमा शुल्क के भुगतान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा
- (6) डाक प्राधिकारी द्वारा ऐसी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उस महीने के सातवें दिन तक प्रदान की जाएगी जिसमें उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा माल की निकासी की अनुमति देने संबंधी आदेश दिए गए थे।

प्रपत्र-II

[विनियम 4 (3) देखें]

(आयात का डाक बिल - गैर-व्यक्तिगत आयात वस्तुओं के लिए)

आयात का डाक बिल संख्या और तारीख	सामान आईडी संख्या और तारीख	विदेशी डाकघर कोड (आईएन....5)	आयातक का विवरण							सीमा शुल्क बिलियों का विवरण	सीमा शुल्क बिलियों अनुज्ञा पत्र सं.												
			आयातक का नाम	आयातक-निर्यातक कोड या पैन	आयातक का पता	राज्य कोड	जीएसटी आईएन																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)													
प्रेषक या आपूर्तिकर्ता या विक्रेता का विवरण				मूल विवरण				ई-कॉमर्स विवरण															
विक्रेता का नाम और पता		यदि विक्रेता के समान न हो तो प्रेषक का नाम और पता			उद्गम देश		ई-कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीआईएन		यूआरएल (वेबसाइट का नाम)	भुगतान लेनदेन आईडी													
(11)		(12)			(13)		(14)		(15)	(16)													
चालान विवरण																							
चालान संख्या एवं तारीख	मुद्रा कोड	विनियम दर	चालान शर्तें (एफओबी या सीआईएफ या एक्सवर्क्स)	चालान मूल्य	चालान मूल्य (भारतीय रुपए में)	माल भाड़ा (भारतीय रुपए में)	बीमा (भारतीय रुपए में)	कमीशन (भारतीय रुपए में)	लॉडिंग (भारतीय रुपए में)	विविध शुल्क (भारतीय रुपए में)	एसवीबी लॉडिंग (भारतीय रुपए में)	रख-रखाव शुल्क (भारतीय रुपए में)	कुल मूल्यांकन योग्य मूल्य (भारतीय रुपए में)										
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)										
वस्तुवार विवरण			सीमा शुल्क			उपकर या अधिभार		अतिरिक्त शुल्क या आईजीएसटी															
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	मूल्यांकन योग्य मूल्य	सीटी एच	शुल्क दर	अधिसूचना पर छूट	क्र. सं.	प्रभावी दर	शुल्क	दर	मात्रा	सीईटीएच या एचएसएन या जीएसटी कोड	आईजीएसटी या सीई शुल्क का	सीई शुल्क या आईजीएसटी दर	अधिसूचना पर छूट	प्रभावी दर	सीई शुल्क या आईजीएसटी	मुआवज़ा उपकर दर	अधिसूचना पर छूट	प्रभावी दर	क्षतिपूर्ति उपकर	कुल शुल्क

														मूल्य										
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	

कुल शुल्क शब्दों में (रुपए.....) रुपए.....

घोषणा:

(घोषणापत्र पर आयातक या अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे)

1. मैं या हम घोषणा करते हैं कि डाक सामान संख्या दिनांक के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के लिए इस आयात बिल की विषय-वस्तु चालान संख्या दिनांक और इसके साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के अनुरूप है।
 2. मैं या हम घोषणा करते हैं कि मुझे या हमें उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य, मात्रा या विवरण दर्शाने वाला कोई अन्य दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और यदि इसके बाद कभी भी मुझे या हमें आयातक से तथ्यों की भिन्न स्थिति दर्शाने वाला कोई दस्तावेज प्राप्त होता है, तो मैं या हम तत्काल इसकी जानकारी प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क को दूँगे, जैसा भी मामला हो।
- ध्यान दें- जहां इस प्रपत्र में घोषणा सीमा शुल्क बिचौलियों द्वारा की जाती है, वहां इस आयात बिल के अंतर्गत आने वाले माल के आयातकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।

आयातक या अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2025

No. 18/2025 - Customs (N.T.)

S.O. 1516(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Postal Imports Regulations, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date to be notified.

2. Application.— (1) These Regulations shall apply to assessment and clearance of goods imported through Foreign Post Offices notified under clause (e) of sub section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962.

(2) These regulations shall not apply to:-

(a) the following imported goods requiring testing of samples thereof before their clearance, namely: -

(i) animals and parts thereof, plants and parts thereof;

(ii) perishables;

(iii) publications containing maps depicting incorrect boundaries of India;

(iv) precious and semi-precious stones, gold or silver in any form;

(b) import of goods under any export promotion scheme referred to in the Foreign Trade Policy 2009-14 or 2015-20 or 2023, as the case may be.

3. Definitions : –

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

- (b) “Authorised agent” means a person authorised by an importer who has a valid license under the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 and includes an employee of the Customs broker who has been issued a photo identity card in Form G of the said regulations;
- (c) “Electronic Advance Data” means the pre-arrival electronic information specified in Article 8 of the Universal Postal Convention related to postal goods which is made available by the Postal Authority to the Customs Automated System;
- (d) “Foreign Post Office” means a Foreign Post Office notified under clause (e) of sub section (1) of section 7 of the Act for clearance of imported goods;
- (e) “Postal Authority” means respective authorities responsible for managing postal services working under the Department of Posts, Ministry of Communications, Government of India;
- (f) “Form CN 22”, “Form CN 23” and “Form CP 72” mean the Forms of Customs Declarations specified by the Universal Postal Union in the Convention Manual;
- (g) “Non-Personal Imported goods” means goods imported through a Foreign Post Office other than Personal Imported goods;
- (h) “Personal Imported goods” means goods imported through a Foreign Post Office which are meant for personal use or consumption, are not connected with trade, manufacture or agriculture and are not intended for furtherance of business;
- (i) “Form” means the Forms annexed to these regulations;
- (j) Any reference to the Commissioner of Customs in these regulations shall include a reference to the Principal Commissioner of Customs for the purpose of these regulations.
- (2) The words used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

4. Entry to be made, list of goods to be presented and Postal Bill of Import to be filed.- (1) Form CN 22, Form CN 23 or Form CP 72, as the case may be, affixed to the parcels and containing, *inter alia*, the description of goods, quantity and value thereof, shall

be deemed to be an entry for import at the Foreign Post Office from where the goods are to be cleared.

- (2) The Postal Authority shall present the list of parcels, containing imported goods, which have arrived at the Foreign Post Office, along with the parcels on which Form CN 22, Form CN 23 or Form CP 72, as the case may be, is affixed, to the proper officer of Customs in **Form-I** annexed to these regulations, electronically on the Customs Automated System, on the day of arrival of the said parcels.
- (3) A Postal Bill of Import in **Form-II** annexed to these regulations shall be filed by the importer or his authorised agent, electronically on the Customs Automated System, for Non-Personal Imported goods.

5. Inspection, Assessment, Examination and Clearance of goods.- (1) The proper officer of Customs shall subject the goods to scanning and inspection when such goods are presented to him by Postal Authority along with the list of goods referred to in sub-regulation (2) of regulation 4.

- (2) The proper officer may select the goods for examination based on the results of scanning, inspection and the information present in Form CN 22, Form CN 23, Form CP 72 or the Postal Bill of Import, as the case may be.

Provided that such selection may also be based on risk evaluation through appropriate selection criteria.

- (3) The proper officer of Customs may perform risk-based assessment of the goods, in respect of which the Electronic Advance Data has been made available by the Postal Authority to the Customs Automated System, before the arrival of the goods at the Foreign Post Office.

Provided that in respect of the goods for which the Electronic Advance Data has not been made available, the risk-based assessment may be performed after the goods are presented by the Postal Authority along with the list of goods referred in sub-regulation (2) of regulation 4.

- (4) For the purpose of verification, the proper officer of Customs may require the importer, or his authorised agent, to produce any document or information as may be necessary.

- (5) Where the proper officer is satisfied that the goods are not prohibited, he may make an order permitting clearance after completion of the customs procedure and such order shall be communicated, electronically, to the Postal Authority, importer or his authorised agent or as the case may be.
- (6) No Parcel shall be delivered by Postal Authority except on payment of applicable duties.

Provided that in cases where Postal Bill of Import is also filled, the payments of duty shall be done on the Customs Automated System by the importer or his authorised agent.

6. Disposal and Re-export of goods.- (1) Postal Authority may request the Customs for re-export or return of the imported goods to the sender in case of undelivered parcels, provided that the goods are not prohibited.

- (2) Any imported goods which have not taken clearance or remain undelivered after the expiry of a period of thirty days of its arrival, shall be sold or disposed of by the Postal Authority, with the permission of the proper officer, after issuing a notice to the declared importer, if any. Any charges payable for storage and holding of such goods shall be payable by the Postal Authority.

7. Retention of records in case of Non-Personal Imported goods.-

In case of Non-Personal Imported goods, the importer or his authorised agent shall retain, for a period of five years from the date of filing of the Postal Bill of Import in **Form-II** referred to in regulation 4:

- (i) a copy of the said Postal Bill of Import;
- (ii) all documents which were used or relied upon while filling the said Postal Bill of Import and, where required, shall produce them before the proper officer of Customs in connection with any action or proceedings under the Act or under any other law for the time being in force;

Provided that in cases where proceedings are ongoing, the importer shall retain such documents until such proceedings are concluded.

8. Role and responsibilities of authorised agent.- (1) Any obligation required to be fulfilled by the importer can also be fulfilled by his authorised agent.

(2) The importer authorising such agent shall be fully responsible for all the operations and transactions performed by such agent on his behalf and shall be liable for payment of any dues owed to the government or penal provisions as applicable under these regulations or the Act or any other law for the time being in force.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the authorised agent shall be governed by the regulations made under sections 146, and 147 of the Act.

9. Obligation of Postal Authority.- (1) On arrival at the Foreign Post Office from where the goods are to be cleared, the goods shall not be dealt with in any manner except as may be directed by the Commissioner of Customs.

(2) No person shall open, except with the permission of proper officer of Customs, any Receptacle or Bag or Package containing the goods meant to be cleared from that Foreign Post Office.

(3) The Postal Authority shall present all the postal imported parcels, along with the list of such parcels at the Foreign Post Office to the proper officer of Customs, in such manner as to the satisfaction of the said proper officer, for screening, inspection, examination and assessment thereof.

(4) The Postal Authority shall not deliver any goods to the recipient unless an order permitting clearance of the goods has been made by the proper officer of Customs under regulation 5.

(5) In respect of goods for which an order permitting clearance of the goods has been made by the proper officer of Customs under regulation 5, the Postal Authority shall provide information to the proper officer of Customs relating to the delivery of goods, collection of customs duties assessed thereon from the recipients and payment of the customs duties so collected.

- (6) Such information shall be provided by the Postal Authority, electronically, by the seventh day of the month succeeding the month in which the orders permitting clearance of the goods were made by the proper officer of Customs.
- (7) The Postal Authority shall provide for secure transfer or movement of goods wherever transshipment is required, in terms of existing legal framework.

10. Penalty.- Without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or any other law for the time being in force, any person who contravenes any of the provisions of these regulations or abets such contravention or fails to comply with any of the provision of these regulations with which it was his duty to comply, shall be liable to a penalty to an extent of the amount specified under clause (ii) of subsection (2) of section 158 of the Act.

11. Power to Relax.- If the Commissioner of Customs is satisfied that in relation to the import of goods through a Foreign Post Office, the Postal Authority or consignee or importer or his authorised agent has, reasons beyond their control, failed to comply with any of the provisions of these regulations, he may, for reasons to be recorded in writing, exempt such person from the operation of these regulations.

[F. N. 456/02/2025-Cus.V]
SANJEET KUMAR, Under Secy.

Form-I
(see regulation 4 (2))

List of goods which have arrived at the Foreign Post Office

(To be submitted by India Post to the proper officer of Customs on the day of arrival)

Sl. No.	Receptacle ID or Bag No.	Origin country (For Receptacle ID) or Origin OOE (For Bag No.)	Article ID or Item ID	Weight of the Article	Mail Class	EAD Goods or Non-EAD Goods	Date of receipt of goods at the FPO

Form-II

(see regulation 4 (3))

(Postal Bill of Import - For Non-Personal Import goods)

Postal Bill of Import No. and Date	Article Id No and Date	Foreign Post Office Code (IN....5)	Importer Details							Customs Broker License No.													
			Name of the Importer	Importer-Exporter Code or PAN	Address of the Importer	State Code	GSTIN	Details of Customs Broker															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)													
Consignor or Supplier or Seller details						Origin Details				E-Commerce Particulars													
Name and Address of Seller		Name and Address of Consignor if not same as Seller				Country of Origin		GSTIN of E-commerce Operator		URL (name of Website)	Payment Transaction ID												
(11)		(12)				(13)		(14)		(15)	(16)												
Invoice Details																							
Invoice No and date		Currency Code	Exchange Rate	Invoice Terms (FOB or CIF or Exworks)		Invoice Value	Invoice Value (INR)	Freight (INR)	Insurance (INR)	Commissions (INR)	Loading (INR)	Miscellaneous Charge (INR)	SVB Loading (INR)	Handling charges (INR)	Total Assessable Value (INR)								
(17)		(18)	(19)	(20)		(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)								
Item wise Details				Customs Duty				Cess or Surcharge		Addl Duty or IGST													
S. No.	Description	Unit	Qty	Assessable Value	CTH	Duty Rate	Exemption Notfn	Sl. No.	Effective rate	Duty Amount	Rate	Amount	CEH or HSN or GST Code	Value for IGST or CE Duty	CE Duty or IGST Rate	Exemption Notfn No.	Effective rate	CE Duty or IGST	Compensation Cess Rate	Exemption Notfn	Effective rate	Compensation Cess	Total Duty
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)

Total Duty in Words (Rupees.....)

Rs.....

Declaration:

(Declaration to be signed by the Importer or Authorised agent)

1. I or We declare that the contents of this Bill of Import for goods imported against Postal Article No..... dated Are in accordance with the Invoice No..... dated and other documents presented herewith.
 2. I or We declare that I or We have not received any other document or information showing a different price, value, quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I or we receive any documents from the importer showing a different state of facts, I or we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.
- N. B.-Where a declaration in this form is made by the Custom Broker a declaration in the prescribed form shall be furnished by the importers of the goods covered by this Bill of Import.

Signature of Importer or Authorised Agent